महिलाओं का निगम गेट बंद कर प्रदर्शन 10 दिन में सड़क बनाने का आश्वासन

नवभारत न्यूज

खंडवा। शहर की कॉलोनी में समस्याओं से जूझ रहे कालोनीवासियों ने निगम गेट बंद कर जमकर नारेबाजी की। निगम उपायुक्त की समझाइश के बाद एक घंटे में गेट खोलकर प्रदर्शन खत्म किया।

शहर की तुलसी स्टेट कालोनी के रहवासी सड़क की समस्या को लेकर लंबे समय से परेशान हैं। कई बार नगर निगम के चक्कर लगा चुके हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। गुरुवार कालोनी की महिलाएं नगर निगम कार्यालय पहुंचे, लेकिन वहां उनसे आवेदन लेने कोई अधिकारी नहीं आया।

एक घंटे तक चला प्रदर्शन

आक्रोशित महिलाओं ने मुख्य गेट बंद कर जमकर हंगामा कर दिया। इस दौरान उन्होंने नगर निगम के खिलाफ नारेबाजी भी की। करीब एक घंटे तक चले प्रदर्शन के बाद नगर निगम उपायुक्त एस आर शिटोले महिलाओं के बीच पहुंचे। दस दिनों में सड़क बनाने का आश्वासन दिया। उसके बाद महिलाओं ने प्रदर्शन समाप्त किया।

> **10 दिन में सड़क का काम शुरू हो जाएगा**
>
> नगर निगम में उप आयुक्त सचिन सिटोले ने कहा कि तुलसी स्टेट कालोनी से कुछ महिलाएं आई थीं। नगर निगम कार्यालय में अजब नजारा देखने को मिला। जब महिलाओं ने गेट बंद कर बताया कि उनकी कालोनी में पिछले दस वर्षों से सड़क सड़क की समस्या को लेकर परेशान है और उन्होंने धरना प्रदर्शन कर दिया, और अपनी मांग पर अड़ गई, जिससे परेशानी हुई, उन्होंने पूर्व में भी आवेदन दिया था। आज मेरे पास उनकी समस्या आई। कार्यपालन अधिकारी से चर्चा कर उन्हें अश्वासन दिया है। दस दिनों में कालोनी में सड़क निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएग।

चार दशक तक सेवा लेने के बाद नियुक्ति को बताया अवैध

पारित आदेश के परिपालन के संबंध में रिपोर्ट दें : हाईकोर्ट

जबलपुर, 13 नवंबर. चार दशक तक सेवा लेने के बावजूद भी पूर्व में पारित आदेश का पालन करते हुए नियमितीकरण किये जाने की बजाय, नियुक्ति को अवैध ठहराया जाने को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की गयी थी.

हाईकोर्ट जस्टिस एम एस भट्टी की एकलपीठ ने याचिका की सुनवाई करते हुए कहा है कि पूर्व में दिये गये आदेश पर मुख्य सचिव के द्वारा की कार्यवाही का ब्यौरा पेश किया जाये. उप संचालक कार्यालय उद्यान जिला जबलपुर में कार्यरत राकेश कुमार चौरसिया की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि पूर्व में उनकी तरफ से दायर की सुनवाई करते हुए राज्य शासन को नियमितीकरण हेतु आवश्यक कार्यवाही करने हेतु आदेश जारी किये थे. आदेश के कथित परिपालन में राज्य शासन के द्वारा निर्णय में कहा गया है कि 38 वर्ष पूर्व जो नियुक्ति की गई थी वह अवैध है,क्योकि तत्समय में स्वीकृत पद नहीं थे.

याचिकाकर्ता की तरफ तर्क दिया गया कि चार दशक तक सेवा लेने के दौरान उसकी नियुक्ति को अवैध नहीं ठहराया गया था। हाईकोर्ट के स्पष्ट आदेश है कि ऐसे कर्मचारी जो कि 10 वर्ष से अधिक सेवारत है और उनकी नियुक्ति अवैध या अनियमित हो से ऐसे प्रकरणों में नियुक्तिकरण हेतु स्थाई समिति गठित की जानी चाहिये.

सरकार ने सुको के निर्देशों के विपरीत नियम बनाए

प्रमोशन में आरक्षण मामले में आवेदकों का दावा

जबलपुर, 13 नवंबर. मप्र हाईकोर्ट में गुरुवार को प्रदेश में प्रमोशन में आरक्षण को लेकर बने नियम की वैधानिकता को चुनौती देने वाले मामले में सुनवाई हुई.

याचिकाकर्ताओं की ओर से कहा गया कि सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के विपरीत नियम बनाए हैं, इसलिए वे चुनौती योग्य हैं. आवेदकों की ओर से चीफ जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की युगलपीठ को बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट के एम नागराज और

जरनैल सिंह के मामलों में जो निर्देश दिए हैं उनका पालन नहीं किया गया है. सरकार ने आरक्षण लागू करने से पहले यह नहीं देखा कि कौन से वर्ग अभी वाकई पिछड़े हैं और उनका वर्तमान में कितना प्रतिनिधित्व है. न्यायालय ने मामले की अगली सुनवाई 20 नवंबर को निर्धारित की है.वहीं मामले में अजाक्स संघ सहित आरक्षित वर्ग की ओर से अनेक अधिकारियों व कर्मचारियों ने इस मामले में हस्तक्षेप याचिकाएं दाखिल की हैं.

याचिका दायर

भोपाल निवासी डॉ. स्वाति तिवारी व अन्य की तरफ से दायर याचिका में मध्यप्रदेश लोक सेवा पदोन्नति नियम 2025 को चुनौती दी गई है. आवेदकों का कहना है कि वर्ष 2002 के नियमों को हाईकोर्ट के द्वारा आरबी राय के केस में समाप्त किया जा चुका है. इसके विरुद्ध मप्र शासन ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की गई है. सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए हैं. सुप्रीम कोर्ट में मामला अभी लंबित है, इसके बावजूद मप्र शासन ने महज नाम मात्र का शाब्दिक परिवर्तन कर जस के तस नियम बना दिए.

भावांतर योजना में फिर बड़े मॉडल रेट, अब 4 हजार 130 रुपए हुए

रतलाम। भावांतर योजना 2025 अंतर्गत सोयाबीन विक्रेता किसानों के लिए गुरूवार को 4 हजार 130 रुपए प्रति क्विंटल का मॉडल रेट जारी किया गया है। यह मॉडल रेट उन किसानों के लिए है जिन्होंने अपनी सोयाबीन की उपज मंडी प्रांगणों में विक्रय की है। इस मॉडल रेट के आधार पर ही भावांतर की राशि की गणना की जाएगी। मॉडल रेट में लगातार वृद्धि जारी रही। पहला मॉडल रेट 7 नवंबर को 4 हजार 20 रुपए प्रति क्विंटल जारी किया गया था। इसी तरह 8 नवंबर को 4 हजार 33 रुपए, 9 और 10 नवंबर को 4 हजार 36 रुपए, 11 नवंबर को 4 हजार 56 रुपए तथा 12 नवंबर को 4 हजार 77प्रति क्विंटल का मॉडल रेट जारी हुआ।

पुलिस ने लोडिंग वाहन से ले जा रही लाखों की शराब पकड़ी

नवभारत न्यूज

रतलाम। जिले की बाजना पुलिस ने अवैध विक्रय पर कार्रवाई करते हुए एक को गिरफ्तार किया हैं। आरोपी लोडिंग वाहन में दो लाख रूपए से अधिक की शराब को ले जा रहा था।

पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन में, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक रतलाम राकेश खाखा तथा अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) सैलाना निलम बघेलके मार्गदर्शन में, थाना बाजना पुलिस को अवैध शराब के विरुद्ध बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस के अनुसार बुधवार को बाजना पुलिस को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि एक फोर व्हीलर वाहन चिराखांदन रोड से अवैध शराब लेकर गुजरने वाला है। सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए थाना

प्रभारी बाजना द्वारा हमराह पुलिस बल के साथ बताए स्थान पर घेराबंदी की गई। अशोक लीलैंड कम्पनी का लोडिंग वाहन एमपी 43-जेडएल -0121 आता दिखा, जिसे रोकने का प्रयास किया गया। वाहन रोकते ही क्लीनर साइड पर बैठा व्यक्ति अंधेरे का फायदा उठाकर खेतों की ओर भाग गया, जिसका पीछा किया गया परंतु वह फरार हो गया। वाहन चालक को पकड़कर उसका नाम रायचंद पिता लालु निनामा, निवासी तलीनखेड़ा थाना बाजना होना बताया गया।

वाहन की तलाशी लेने पर पीछे खाकी रंग की सील बंद पेटियाँ रखी हुई मिली। चालक से जब उक्त शराब के परिवहन हेतु अनुज्ञप्ति या परमिट प्रस्तुत करने को कहा गया, तो वह कोई दस्तावेज नहीं दे सका। इस पर आरोपी रायचंद पिता लालु निनामा के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया तथा उसके कब्जे से शराब एवं वाहन को विधिवत जप्त किया गया। निरीक्षक मनीष डावर (थाना प्रभारी बाजना), उपनिरीक्षक रामसिंह खपेड, प्रधान आरक्षक शैलेन्द्रसिंह, प्रधान आरक्षक नीरज त्यागी, आरक्षक प्रेमसिंह निनामा, आरक्षक शंकर शिंदे, तथा सैनिक रूपसिंह डाबी की सराहनीय भूमिका रही।

मतदाता सूची के पुनरीक्षण का निरीक्षण करने पहुंची कलेक्टर

रीवा, 13 नवम्बर. जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य जारी है. कार्य के आकस्मिक निरीक्षण में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने ग्राम पंचायत चोरगड़ी में मतदाता सत्यापन कार्य का निरीक्षण किया. उन्होंने गणना पत्रकों के वितरण की जानकारी लेते हुए निर्देश दिये कि मतदाता द्वारा भरे गणना पत्रक प्राप्त करें. कलेक्टर ने एसआईआर कार्य में संलग्न बीएलओ से गणना पत्रकों के वितरण तथा उनको वापस प्राप्त कर अपलोड करने की अद्यतन स्थिति की जानकारी ली.

एक नजर में

बिना परमिट ओवरलोड पांच गाड़ियां पकड़ी

शक्तिनगर 13 नवम्बर। स्थानीय थाना क्षेत्र में देर रात शक्तिनगर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बिना परमिट और ओवरलोड बालू से भरी पांच हाईवा गाड़ियों को पकड़ लिया. बताया गया कि यह सभी वाहन म.प्र. के पड़ोसी जिले से रेता लोड कर सोनभद्र की ओर आ रहे थे. थाना प्रभारी निरीक्षक रामदरश राम ने बताया कि गस्त के दौरान पुलिस टीम ने तेज रफ्तार से भाग रही ओवरलोड गाड़ियों को देखकर पीछा किया, जिसके बाद कुछ वाहन अलग-अलग दिशाओं में भागने लगे. काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने पांच हाईवा वाहन पकड़ ली. पूछतांछ के दौरान चालकों के पास से किसी प्रकार का वैध परमिट या परिवहन दस्तावेज नहीं मिला. मौके पर हाईवा वाहन ओवरलोड रेत से लदी पाई गई. पुलिस ने पकड़ी गई हाईवा वाहन क्रमांक एमपी 66 जेडएच 3338, एमपी 66 एच 1416, यूपी 64 एटी 2366, यूपी67 एटी 2749 और यूपी 78 सीएन 6757 बताए हैं. इनमें से चार गाड़ियां एक ही मालिक की बताई जा रही है, जबकि एक अन्य की है. थाने लाकर चालकों से पूछतांछ के बाद पुलिस ने सभी हाईवा वाहन को अपने कब्जे में लेकर खनन विभाग और परिवहन विभाग को सूचित कर दिया है. वहीं दूसरी ओर कार्रवाई की जानकारी मिलते ही रेता माफियाओं और वाहन मालिकों में खलबली मच गई. बताया गया कि देर रात थाने के आसपास फॉर्च्यूनर समेत कई लग्जरी वाहन आकर खड़ी हो गई और विभिन्न माध्यमों से पैरवी करने की कोशिशें शुरू हो गई. मामले में थाना प्रभारी ने स्पष्ट किया कि गैरकानूनी परिवहन पर किसी भी स्तर पर समझौता नहीं किया जाएगा, जबकि खनन विभाग और परिवहन विभाग के अधिकारियों ने इस घटना से अनभिज्ञता जताई है. पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है.

ग्वालियर में विरोध-प्रदर्शन पर सख्त नजर

ग्वालियर, 13 नवंबर. जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति पर विपरीत प्रभाव डालने वाले सभी प्रकार के कृत्य अब प्रतिबंधित रहेंगे। जिला दण्डाधिकारी रुचिका चौहान ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत नया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया है. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और इसका उल्लंघन बीएनएस की धारा 223 के तहत दंडनीय माना जाएगा. नया आदेश, 10 अक्टूबर 2025 को जारी पूर्व प्रतिबंधात्मक आदेश को यथावत रखते हुए जारी किया गया है. इसमें यह जोड़ा गया है कि कोई भी व्यक्ति या समूह ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे जिले की कानून व्यवस्था, लोक शांति या सामाजिक सद्भाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय जबलपुर की युगल पीठ द्वारा याचिका में पारित आदेश के अनुपालन में, जिला दण्डाधिकारी ने प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, विशेषकर ग्वालियर की स्थानीय मीडिया को निर्देश जारी किए हैं कि 16 नवम्बर 2025 के आह्वान एवं उससे संबंधित विषयों पर अगली सुनवाई तक कोई समाचार प्रकाशित या प्रसारित न किया जाए. जिला दण्डाधिकारी चौहान ने आदेश में उल्लेख किया है कि जिले में हाल के दिनों में बिना अनुमति धरना, प्रदर्शन और रैली निकालने के प्रयास किए गए हैं. साथ ही, भविष्य में भी ऐसे आह्वानों की जानकारी प्राप्त हो रही है, जो लोक शांति और कानून व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं. इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, नया प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है.

संभाग स्तरीय युवा उत्सव में प्रतिभाओं ने किया कला का प्रदर्शन

रीवा, 13 नवम्बर. खेल और युवा कल्याण विभाग के तत्वाधान में जिला स्तरीय युवा उत्सव स्थानीय स्पोट्स काम्पलेक्स में सम्पन्न हुआ. जहां प्रतिभाओ ने अपनी कला का प्रदर्शन किया. उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को मेडल व प्रमाण पत्र प्रदान किया गया. दूसरे दिन संभाग स्तरीय युवा उत्सव का समापन हुआ.

बसपा का भिंड कलेक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन

एडीएम को ज्ञापन देकर वापस लिया, कलेक्टर को सौंपा

भिंड, 13 नवंबर. बहुजन समाज पार्टी ने गुरुवार को जिला कलेक्ट्रेट पर करीब तीन घंटे तक जोरदार प्रदर्शन किया. कार्यकर्ता कलेक्टर से मुलाकात की मांग को लेकर गेट पर डटे रहे और कलेक्टर मुर्दाबाद के नारे लगाए.

एडीएम को ज्ञापन सौंपने के बाद कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन वापस भी ले लिया और कलेक्टर की मौजूदगी पर अड़ गए. बीएसपी की प्रमुख मांगे भिंड जिले में कमजोर वर्गों पर अत्याचार रोकने, पीड़ितों को न्याय दिलाने और किसानों की समस्याओं के समाधान को लेकर थीं. गुरुवार दोपहर बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पूर्व विधायक संजू सिंह के नेतृत्व में बड़ी संख्या में जिला कलेक्ट्रेट पहुंचे. प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन देने आए थे. एडीएम लक्ष्मीकांत पांडे ने ज्ञापन प्राप्त किया और समस्याएं सुनीं, लेकिन कुछ कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ज्ञापन केवल कलेक्टर को ही दिया जाएगा, एडीएम को नहीं. स्थिति बिगड़ते देख एडीएम ने कलेक्टर करोड़ीलाल मीणा से संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में व्यस्त थे.

खाद्य व राजस्व विभाग के दल ने 60 गैस सिलेंडर जब्त किए

नवभारत न्यूज

खंडवा । खाद्य आपूर्ति विभाग खंडवा के दल ने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व पंधाना दीक्षा भगोरे के साथ पंधाना नगर में घरेलू गैस का अवैध व्यापार करने वालों के यहाँ पर छापामार कार्रवाई कर भारी मात्रा में घरेलू गैस सिलेण्डरो को जप्त किया।

कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी सुनील नागराज एवं रोहित देवल द्वारा पंधाना में रोशन खान के यहाँ से 25 घरेलू सिलेण्डर तथा 4 सिलेण्डर 5 किलोग्राम के,कुल 29 सिलेण्डर जप्त किये गये।

फ्री में रूम नहीं दिया तो होटल पर ताबड़तोड़ फायरिंग की

भिंड, 13 नवंबर. भिंड के बायपास स्थित होटल डिमांड पर तीन बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की. बदमाश होटल में मुफ्त में रूम मांग रहे थे, लेकिन संचालक अभिषेक सिंह ने इनकार कर दिया. इससे बौखलाए बदमाशों ने मारपीट की.

बदमाशों ने अपहरण की कोशिश भी की. करीब 10 से 12 राउंड गोलियां चलाई. गोलीबारी से होटल के शीशे टूट गए. दीवारों पर गोलियों के निशान हैं. पुलिस ने तीनों बदमाशों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज कर ली है. सिटी कोतवाली थाना प्रभारी बृजेंद्र सेंगर ने बताया कि एमजीएस कॉलेज के सामने स्थित होटल डिमांड पर बदमाश गोलू अकोदा अपने दो साथियों रमन भदौरिया (निवासी बिलोरा) और बब्बू श्रीवास (निवासी उमरी) के साथ पहुंचा था.होटल स्टाफ के फ्री में रूम देने से इनकार करने पर आरोपियों ने होटल संचालक अभिषेक सिंह राजावत के साथ गाली-गलौज और मारपीट की. होटल संचालक अभिषेक सिंह राजावत ने बताया कि तीनों आरोपी पहले मुझे बात करने के बहाने सड़क किनारे ले गए और कार में बैठाने की कोशिश की. उन्होंने मुझे बंधक बनाने की कोशिश की, लेकिन मैं किसी तरह भाग निकला और अपनी जान बचाई.

महाराष्ट्र ले जा रहे गौवंशों को मुक्त कराया

बड़वानी, 13 नवंबर. एसपी जगदीश डावर के निर्देश पर जिले में अवैध गौवंश तस्करी पर रोक लगाने के अभियान के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर कंटेनर वाहन क्रं. यूपी-21-सीएन-4397 को एबी रोड़ आरटीओ बैरियर बालसमुद पर रोका गया. वाहन की तलाशी लेने पर उसमें 52 नग गोवंश (बैल) क्रूरता पूर्वक भरे पाए गए, जिन्हें वध के लिए महाराष्ट्र ले जाया जा रहा था. पुलिस ने मौके से गौवंशों को सुरक्षित मुक्त कर 20 लाख 21 हजार रूपए मूल्य का माल जब्त किया. जिसमें ट्रक कंटेनर कीमत लगभग 15 लाख, 52 नग गौवंश कीमत लगभग 5.20 लाख शामिल हैं.

होटल, लॉज और हॉस्टल पर पुलिस की आकस्मिक चेकिंग

11 मकान, व्यवसाय और होटल संचालकों पर कार्रवाई

इंदौर, 13 नवंबर. शहर में अपराध नियंत्रण और सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से पुलिस आयुक्त के निर्देश पर इंदौर पुलिस कमिश्नरेट की टीमों ने देर शाम होटल, धर्मशाला, लॉज, हॉस्टल और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों में आकस्मिक चेकिंग अभियान चलाया.

इस दौरान कई स्थानों पर किरायेदारों, कामगारों और ठहरने वालों की जानकारी थाने में दर्ज न कराने की लापरवाही सामने आई. जांच में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर 11 मकान, व्यवसाय और

होटल संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की गई. तेजाजी नगर पुलिस ने मकान मालिक मोहम्मद रईस खान पर, गांधी नगर ने समीम बी पर, कनाडिया ने निर्भय सिंह टाटिया पर, पलासिया ने सुभाष बौरासी पर, बाणगंगा ने मिथलेश शुक्ला पर और चंदन नगर पुलिस ने अनिस हुसैन पर कार्रवाई की. सेंट्रल कोतवाली ने जयप्रकाश गुप्ता और कनाडिया थाने ने विक्रम सिंह के खिलाफ कार्रवाई की.

सीधा संवाद

अभाविप ने किया मालवा प्रांत स्तरीय जनजातिय छात्र पंचायत का आयोजन

जनजातिय समाज की पंरपरा संपूर्ण देश के लिए मिसाल

झाबुआ, 13 नवंबर. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में जिला मुख्यालय पर मालवा प्रांत स्तरीय जनजातिय छात्र पंचायत का आयोजन स्थानीय गैल तिराहे के समीप श्री जेल बगीचा हनुमान मंदिर परिसर में रखा गया.

वक्ताओं ने जनजातिय समाज की संस्कृति, परपंराओं से रूबरू करवाने के साथ समाज के उत्थान, विकास और प्रगति पर खुलकर बातचीत की. जनजातिय समाज के विकास में युवाओं की भूमिका पर भी प्रकाश डाला गया.

आयोजन में मुख्य आकर्षण मालवा प्रांत के 18 जिलों से आए करीब 120 चयनित छात्र-छात्राओं को खाट पर बिठाने के साथ आयोजनस्थल को संगठन के ध्वजों और पिथोरा आर्ट कला से सजाया गया. कार्यक्रम में जनजाति समाज की संस्कृति की प्रदर्शनी भी लगाई गई वहीं भगवान बिरसा मुंडाजी का सेल्फी पाइंट भी बनाया गया. जानकारी देते हुए अभाविप के मालवा प्रांत अध्यक्ष मदन वसुनिया एवं प्रांत मंत्री दर्शन कहार ने बताया कि संगठन द्वारा जनजातिय छात्र पंचायत का भव्य स्तर पर आयोजन किया गया. जिसमें मालवा प्रांत के जनजातिय समाज के अपेक्षित विद्यार्थी एवं चयनित प्रतिनिधि मालवा प्रांत के अलग-अलग जिलों से 12 नवंबर, बुधवार रात झाबुआ पहुंचे. सभी छात्र-छात्राओं के ठहरने एवं भोजन की व्यवस्था शगुन गार्डन में परिषद् द्वारा की गई.

> उद्घाटन सत्र में मुख्य वक्ता लोकसभा सांसद गजेन्द्रसिंह पटेल ने बताया कि जनजातिय समाज प्राचीनकाल से सनातनी होकर समाज की संस्कृति और परंपराएं सभी को प्रेरणा देने वाली है और पूरे देश के लिए मिसाल है. श्री पटेल ने बताया कि उनकी राजनीतिक शुरूआत भी अभाविप से शुरू हुई और वे आज लोकसभा सांसद जैसे महत्वपूर्ण पद पर काबिज है. आपने बताया कि जनजातिय समाज के छात्रों को समाज की संस्कृति और पंरपराओं को नजदीक से समझकर उस पर गहन मनन-चिंतन करने की आवश्यकता है. जनजातिय समाज के विकास और प्रगति में युवाओं का योगदान महत्वपूर्ण है. उद्घाटन सत्र बाद प्रथम सत्र दोपहर 11.15 से 12.30 बजे तक चला. जिसमें वक्ता के रूप में शिवगंगा के वरिष्ठ कार्यकर्ता राजाराम कटारा उपस्थित रहे. अपने उद्बोधन में शिवगंगा के वरिष्ठ कार्यकर्ता राजाराम कटारा ने जनजाति समाज के इतिहास और महापुरूषों के जीवन पर प्रकाश डाला. साथ ही बताया कि जनजातिय समाज के युवाओं को जागरूक होकर धर्मांतरण को रोकने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करना होगा. साथ ही समाज के सभी त्यौहार पूरे रिती-रिवाज के साथ मिलकर मनाने की आवश्यकता है.

हरदा का न्यायिक क्षेत्राधिकार इंदौर को देने के प्रस्ताव से आक्रोश

अधिवक्ता संघ मुख्य न्यायाधीश को सौंपेंगे आपत्ति

जबलपुर, 13 नवंबर. मध्य प्रदेश शासन विधि एवं विधायी कार्य विभाग ने हरदा जिले का न्यायिक क्षेत्राधिकार जबलपुर से पृथक कर इंदौर बेंच को दिए जाने का प्रस्ताव किया है.

इसकी जानकारी लगते ही जबलपुर के अधिवक्ता संघ आक्रोशित हो गए हैं. उन्होंने विरोध दर्ज कराया है. गुरुवार को इस सिलसिले में हाईकोर्ट एडवोकेट्स बार, हाईकोर्ट बार, जिला बार, एमपी स्टेट बार व सीनियर एडवोकेट्स काउंसिल के पदाधिकारियों की आपात संयुक्त बैठक आहूत हुई. जिसमें हाई कोर्ट एडवोकेट्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष संजय अग्रवाल, हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष धन्य कुमार जैन, सीनियर एडवोकेट्स काउंसिल की अध्यक्ष शोभा मेनन, जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष मनीष मिश्रा, स्टेट बार काउंसिल के अध्यक्ष राधेलाल गुप्ता सहित सदस्य मनीष दत्त, शैलेंद्र वर्मा, अहादुल्लाह उस्मानी सहित अन्य वरिष्ठ अधिवक्ता उपस्थित रहे. सभी ने एक स्वर में प्रतिवाद किया. साथ ही निर्णय लिया कि शुक्रवार को इस संबंध में मुख्य न्यायाधीश संजीव सचदेवा को लिखित आपत्ति दी जाएगी. जबलपुर के सांसद, विधायक व महापौर से इस प्रस्ताव का विरोध करने हेतु अनुरोध किया जाएगा.

नशे के अवैध कारोबार पर पुलिस की कार्रवाई

सीधी. प्रहार 2.0 विशेष अभियान के तहत सीधी पुलिस द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है.इसी क्रम में जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में की गई कार्यवाहियों के दौरान पुलिस टीमों द्वारा कुल 43,000 मूल्य के अवैध मादक पदार्थ एवं शराब बरामद कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया. थाना प्रभारी निरीक्षक राजेश पाण्डेय के नेतृत्व में आरोपी जिलाजीत मुसलमान पिता स्व. दीन मोहम्मद, निवासी ग्राम खुटेली थाना बहरी के कब्जे से 15,000 मूल्य के लगभग 3 किलो 800 ग्राम हरे पौधे (गांजा की खेती) जप्त किए गए. आरोपी के विरुद्ध धारा 20(ए) एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर कार्यवाही की.